

SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT, KOLKATA

NOTIFICATION

The Commissioner of Customs (Port), Kolkata, in exercise of his power under Section 8 of Customs Act, 1962, has notified, vide Notification No. 01/2023(Port) dated 24.03.2023, the following land parcel msg. 56,855 sq. meters (approx.), as per schedule below, as Customs area within the constructed Dock boundary wall from the turning point near Central Workshop to Phosphate Berth Gate of Haldia Dock Complex, Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata:-

THE SCHEDULE

Description of the area declared as “Customs Area”

I.	Hardstand area	:	40605 sq. m.
II.	14 M wide road area	:	8336 sq. m.
III.	From road to Boundary wall area	:	2203 sq. m.
IV.	Existing godown area	:	5711 sq. m.

Total area included in Customs area : 56855 sq. m.

The aforesaid area msg. **56855 sq. m.** in Haldia Dock Complex has the following boundary indicators:

- i. **Northern side** – Boundary wall separates the plot from nearby road leading from Hindustan gate and adjacent area.
- ii. **Southern side** – Boundary wall separates Dock interior zone of HDC with Customs notified area.
- iii. **Eastern side** – Boundary wall separates Dock interior zone of HDC with Customs notified area.
- iv. **Western side** – Boundary wall separates the plot from road leading from Phosphate Gate.

Accordingly and with the approval of the Commissioner of Customs (Port), Kolkata, the Board of Major Port Authority for Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata, hereby, declares 56,855 sq. meters (approx.) at Haldia, as detailed in the Schedule above, as Customs bound area, with immediate effect, in exercise of powers conferred by Major Port Authorities Act, 2021 (No. 1 of 2021 dt. 17.02.2021).

By order of and for and on behalf of
the Board of Major Port Authority for
Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata

Dated, 20.04.2023.

Sd/-
S. K. Dhar,
Secretary(I/C)

15, Strand Road,
Kolkata – 700 001.

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता

अधिसूचना

आयुक्त सीमा(पत्तन) शुल्क-, कोलकाता ने सीमा शुल्क अधिनियम,के तहत अपनी शक्ति 8 की धारा 1962 का प्रयोग करते हुए, दिनांक 24.03.01 को अधिसूचना संख्या 2023/ 2023(पत्तनके तहत (, नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार,56 ,खंड-की निम्नलिखित भू (लगभग) वर्ग मीटर 855, केंद्रीय वर्कशॉप के पास टर्निंग पॉइंट से लेकर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के फास्फेट बर्थ गेट तक निर्मित डॉक बाउंडरी वाल के भीतर सीमा :शुल्क क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया है-

अनुसूची

“सीमा-शुल्क क्षेत्र” के रूप में घोषित क्षेत्र का विवरण

i)	हार्डस्टैंड क्षेत्र	:	40605 वर्ग मीटर
ii)	मीटर चौड़ा सड़क क्षेत्र 14	:	8336 वर्ग मीटर
iii)	सड़क से बाउंडरी वाल का क्षेत्रफल	:	वर्ग मीटर 2203
iv)	मौजूदा गोदाम क्षेत्र	:	5711 वर्ग मीटर
	सीमा शुल्क क्षेत्र में शामिल कुल क्षेत्रफल-	:	56,855 वर्ग मीटर

हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में उपरोक्त 56,855 वर्ग मीटर क्षेत्र के निम्नलिखित सीमा संकेतक हैं:

- i) **उत्तर की ओर** – बाउंडरी वाल प्लॉट को नजदीकी सड़क से पृथक करती है जो हिंदुस्तान गेट और संलग्न क्षेत्र की ओर जाती है।
- ii) **दक्षिण की ओर** – बाउंडरी वाल सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्र-से एचडीसी के डॉक इनटिरियर जोन को पृथक करती है।
- iii) **पूरब की ओर** – बाउंडरी वाल सीमा शुल्क अधिसूचित क्षेत्र-से एचडीसी के डॉक इनटिरियर जोन को पृथक करती है।
- iv) **पश्चिम की ओर** – बाउंडरी वाल प्लॉट को फॉस्फेट गेट को ओर जानेवाली सड़क से पृथक करती है।

तदनुसार और सीमा(पत्तन) शुल्क-, कोलकाता के अनुमोदन से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता का महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (17 दिनांक 1 की संख्या 2021.02.2021) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा हल्दिया में 56,855 वर्ग मीटर (लगभग), जैसा कि उपरोक्त अनुसूची में वर्णित है, तत्काल प्रभाव से, सीमा शुल्क बाध्य क्षेत्र के रूप में घोषणा करता है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता के
महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड के आदेशानुसार,
की ओर से और के लिए

दिनांक.: 20.04.2023

एस धर.के.
सचिव (प्रभारी)

15, Strand Road,
Kolkata – 700 001.

